109

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2488-एक/2015 - विरूद्ध आदेश दिनांक 4-6-2015 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 12/2012-13 निगरानी

श्रीमती मुन्नी वाई पत्नि प्रभूदयाल मीणा
व्दारा आम-मुख्त्यार प्रभूदयाल मीणा
निवासी ग्राम हासिलपुर तहसील श्योपुर
जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

भरोसी लाल पुत्र धुड़ीलाल बैश्य
ग्राम डोडर तहसील व जिला श्योपुर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाशक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 04-3-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 12/2012-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04 जून, 2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार श्योपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 346/1996-97 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-8-1997 से ग्राम हासलपुर की आराजी क्रमांक 1/1/स 1 आवेदक के नाम का पटटा निरस्त किया गया है। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश का अमल खसरा वर्ष 2054 से 2058 में किया गया है किन्तु खसरा 2059 के वाद भूमि पुनः आवेदक के नाम दर्ज कर दी गई है इसलिये अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश का अमल पूर्ववत् किया जाय। नायव तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 695 बी 121/2010-11 पॅजीबद्ध किया

तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 15-12-2010 पारित करके अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 346/1996-97 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-8-1997 का अमल पूर्ववत् किये जाने का आदेश दिया। आवेदक ने इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्रकरण कमांक 140/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-4-13 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार श्योपुर का आदेश दिनांक 15-12-10 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने प्रकरण कमांक 12/2012-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04 जून, 2015 से अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर का आदेश दिनांक 10-4-13 निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 15-12-2010 को यथावत् रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-3-1997 से कौन से सर्वे नंबर वावत् आदेश दिया है , नहीं देखा गया। अपर आयुक्त का यह आदेश सर्वे कमांक 1 मिन रकबा 1 वीघा 5 विसवा के संबंध में है जबकि आवेदिका को जिस सर्वे नंबर का बन्टन हुआ है वह प्रकरण कमांक 120/2001-02 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 20-9-2003 से पटटा दिया गया है जो आज भी उसी स्थिति में है। इस प्रकार नायव तहसीलदार व्दारा सर्वे कमांक 1/2 1/4 के संबंध में कोई आदेश न होते हुये भी इन सर्वे नंबरों की भूमियॉ राजस्व अभिलेख में शासकीय दर्ज करने की त्रृटि की गई थी, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने ठीक ही निरस्त किया है परन्तु अपर आयुक्त ने इसकी अनदेखी करते हुये गलत आदेश पारित किया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जावे।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि मामला भूमि के पटटे वितरण का नहीं है अपितु यह मामला खसरा सॅशोधन का है क्योंकि खसरा वर्ष 2054

से 2058 में भूमि शासकीय दर्ज है उसके वाद 2059 में तैयार खसरा एंव वाद के खसरें में शासकीय भूमि आवेदिका के नाम गलत दर्ज की गई है इसलियें अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 12/2012-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04 जून, 2015 सही निष्कर्षो पर अधारित है उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है तथा आवेदक के अभिभाषक स्वयं् स्वीकार कर रहे हैं कि तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 120/2001-02 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 20-9-2003 से आवेदक के हित में वाद विचारित भूमि का पटटा दिया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन कमांक 2496/2002 में पारित आदेश दिनांक 5-8-2002 से भूमि बन्टन/व्यवस्थापन पर प्रतिबन्ध लगा दिया था और इसी के परिपालन में मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग , भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ-30-18/2002/सात-2 ए दिनांक 21-1-2003 से भूमि बन्टन/ व्यवस्थापन पर पूर्ण रोक लगा दी गई थी। इसके वाद भी तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20-9-2003 से आवेदक के हित में भूमि बन्टन करना नियम विरूद्व कार्यवाही होने से दिया गया पटटा अप्रभावी है।

6/ अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 4-6-2015 के अवलोकन से परिलक्षित है कि इस आदेश के पद 6 के उप पद 3 में अपर आयुक्त व्दारा विवेचना कर इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

" गैर निगरानीकर्ता व्दारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन दिनांक 14-7-2003 का पेश किया गया है जबकि प्रकरण वर्ष 2001-02 में ही दर्ज कर लिया गया था। (जैसाकि शीर्ष 120/2001-02 अ-19 से स्पष्ट होता है) इसके अलावा प्रकरण में कई स्थानों पर कूट रचना करते हुये सर्वे कमांक 287/1 वाद में जोड़ा गया है। यथा प्रथम आदेश पत्रिका दिनांक 14-07-2003 मुन्नीवाई व्दारा प्रस्तुत आवेदन पत्र साक्षियों के कथन (मुन्नीवाई प्रहलाद, लक्खू एंव रामचरनलाल शर्मा पटवारी) तथा अंतिम आदेश दिनांक 30-09-2003 इन सभी में सर्वे कमांक 287/1 वाद में जोड़ा गया है । यह कूट रचना अभिलेख के प्रथमदृष्टया अवलोकन से ही स्पष्ट हो जाती है। यहां तक कि मुन्नीवाई व्दारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के न्यायलय में प्रस्तुत अपील मेमो में भी सर्वे कमांक 287/1 का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस समग्र परिप्रेक्ष्य से यह सुस्पष्ट है कि मुन्नीवाई व्दारा पटवारी तथा नायव तहसीलदार वृत्त मानपुर से दुरभि संधिपूर्वक व्यवस्थापन कराया गया है। यह कार्यवाही कपटपूर्ण होने के साथ ही वरिष्ठ न्यायालय के आदेशों का स्पष्ट उल्लॅघन है। "

अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना व्दारा आदेश दिनॉक 4-6-2015 में उपरोक्तानुसार निकाले गये निष्कर्ष अभिलेख पर आधारित है तथा भूमि बन्टन पर प्रतिबंध होने के वावजूद आवेदक के हित में भूमि बन्टन किया जाना पाया गया है जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 12/2012-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04 जून, 2015 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 12/2012-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04 जून, 2015 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर